कार्यालय जिलाधिकारी इटावा।

संख्या 1866/सी0आर0ए0–दै0आ0/कम्बल क्रय/2017–18 दिनांक नवम्बर 28 2017

अल्पकालीन निविदा

शासनादेश संख्या 1651/1–10–2017–12(34)/03टी0सी0–1 दिनांक 16.11.2017 द्वारा शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु कम्बल कय के लिए प्रति तहसील 5.00 लाख की दर से इस जनपद की सभी छः तहसीलों के लिए 30.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या –08/2016/548/18–2–2016–12(एस0पी0)/2010 दिनांक 12.08.2016 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपकमों/निगमों/ प्राधिकरणों/ परिषदों/स्वयतशासी संस्थाओं (जिन्हें आगे केता एजेन्सी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएं, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की कय अनिवार्यता सम्बन्धी दिये गये निर्देशानुसार इस जनपद में कम्बल का कृय किया जाना है।

उपरोक्तानुसार शासनादेश में प्राविधानित केता एजेन्सियों से निम्न गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार कम्बल कृय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

1. कम्बल की अधिकतम दर – रू0 500.00(पांच सौ रूपये)
2. कम्बल की लम्बाई – कम से कम 235 सेमी0
3. कम्बल की चौड़ाई – कम से कम 140 सेमी0
4. कम्बल का बजन – कम से कम 2 किलो 200ग्राम
5. कय किये जाने वाले कम्बल में ऊन की मात्रा – 70 प्रतिशत से कम न हो तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

आपूर्तिकर्ता संस्था को प्रत्येक कम्बल पर इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर सम्बन्धित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण के साथ यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिकी के लिए नहीं है।

निविदा बन्द लिफाफे में अपर जिलाधिकारी वि0रा0 इटावा के कार्यालय में दिनांक 05.12.2017 को प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक निविदा बाक्स में डाली जायेगी तथा इसी तिथि को ही अपरान्ह 3.00 बजे कम्बल कय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता को निविदा के साथ कम्बल का सैम्पुल लाना अनिवार्य होगा।

निविदा प्रपत्र (फार्म) किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 04.12.2017 सांय 5.00 बजे तक रू0 500.00 (पांच सौ रूपये मात्र) देकर संग्रह कार्यालय में दैवी आपदा पटल से प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा के सम्बन्ध में अन्य जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति के अध्यक्ष/ जिलाधिकारी को होगा।

(जितेन्द्र कुमार कुशवाहा)
अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)
इटावा।

प्रतिलिपिः–1. विज्ञापन व्यवस्थापक, अमर उजाला, इटावा को इस इस आशय से कि निविदा का प्रकाशन अगले अंक में कराने का कष्ट करें। निर्धारित दर पर प्रस्तुत बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी इटावा को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा को जनपद की वेबसाइट etawah.nic.in पर अपलोड करावें।
3. प्रभारी अधिकारी (नजारत) कलैक्ट्रेट इटावा को इस निर्देश के साथ उक्त निविदा सूचना कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।

20.11.2017

अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)
इटावा।